

**न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(120)2022/

दिनांक : 03/6/2022

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

- 1 श्री गैरु पुत्र अमरचन्द्र जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 2 श्री नाथु पुत्र अमरचन्द्र जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री भैरु पुत्र अमरचन्द्र जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।



प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री घीसु पिता मुला जाति तेली उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 2 श्री बालु पिता गिरधारी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री फकरुद्दीन पिता नामालुम जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 4 श्रीमती प्रेमकंवर पति गंगासिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 5 श्री दादुदयाल पिता मनोहर जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6 श्री भुरा पिता पेमा जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 7 श्री गोदुलाल पिता भैरुलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 8 श्रीमती देड पिता अमरचन्द्र जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 9 श्रीमती नोजी पिता अमरचन्द्र जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 10 श्री बंशी पिता अमरचन्द्र जाति नायक उम्र वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 120 /2022

**-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 1000/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा पहुँना पटवार हल्का पहुँना तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 84,85,888,91,92,93/1,94/1 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों ओर दिशाओं की पुस्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जायें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जाये एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिक्कार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे ।

सहायक कलक्टर  
(उपसहायक अधिकारी),  
राशमी